भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा 869**

(जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों हेतु व्‍यापक पैकेज**

869. श्री डी. कुपेन्‍द्र रेड्डी:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारी अशोध्‍य ऋण वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों हेतु कोई व्‍यापक पैकेज प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह पैकेज प्रदान करने हेतु किन-किन सरकारी बैंकों को चिन्‍हित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन बैंकों का बचाव करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

**(क) से (ग):** सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्‍तीय स्‍थिति में सुधार लाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन उपायों में अभिशासन संबंधी उपाय जैसे बोर्ड की गुणवत्‍ता में सुधार करके बोर्ड स्‍तरीय विचार-विमर्श में सुधार लाने हेतु कदम उठाना, प्रबंध निदेशक तथा अध्‍यक्ष आदि के पदों को अलग-अलग करना, परिचालन संबंधी उपाय जैसे बिना किसी हस्‍तक्षेप के पूर्ण परिचालनीय स्‍वायत्‍तता तथा बैंकों की बासेल आवश्‍यकता का आकलन करके उनकी पूंजी की स्‍थिति में सुधार लाने के उपाय तथा इसे पूरा करने के लिए व्‍यापक योजना तैयार करना शामिल है।

\*\*\*\*\*